6778
2-12-13

अनुसूची–14 फारम संख्या–562।

न्यायालय भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता सदर दरभंगा

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक– बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के तहत सन्दर्भित वाद संख्या– 200/2013–14

श्री ब्रज बिहारी प्रसाद एवं एक अन्य बनाम श्री राजा सहनी एवं 06 अन्य

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित

अभिलेख आदेशार्थ उपस्थापित किया गया, अवलोकन किया।

आवेदक (1) ब्रिज बिहारी प्रसाद पिता– स्व0 महेश्वर लाल साहु, (2) निर्मला देवी पति– रामा शंकर प्रसाद साहु, पिता– स्व0 महेश्वर लाल साहु दोनों ग्राम– मौलागंज, मदारपुर थाना– लहेरियासराय, जिला– दरभंगा के आवेदन दिनांक 05.06.2013 पर उनके विद्वान अधिवक्ता को सुनते हुए इस वाद की प्रविष्टि की गई है। इस वाद में (1) राजा सहनी (2) खुनमुन सहनी (3) विनोद सहनी, तीनों पिता– स्व0 लक्ष्मी सहनी या लक्ष्मी मुखिया, (4) रामेश्वर सहनी (5) नथुनी सहनी दोनों पिता– गोनु सहनी या गोनु मुखिया (6) राम चन्दर सहनी पिता– जीवछ सहनी, (7) बिन्दे सहनी पिता– स्व0 सोमन सहनी सभी ग्राम– कलयाना धोई, थाना– सदर, जिला– दरभंगा के निवासी विपक्षीगण हैं तथा विवाद के अन्तर्गत मौजा– खोजकीपुर, थाना नं0 600 सोनकी ओ0 पी0 जिला– दरभंगा में अवस्थित अद्योलिखित ब्योरे की भूमि है :–

खाता	खेसरा	रकवा बी0–क0–धु0	चौहद्दी
191 (पु0) 51 (नया)	138	01–12–04	उ0– अमरनाथ साहु
	57	01 एकड़ 65 डी0	द0– नीज आवेदक
			पू0– बिनोद कुमार
			प0– नवल किशोर साहु

आवेदक ने अपने वाद पत्र को शपथ पत्र से समर्थित करते हुए अधिनियम द्वारा निर्धारित न्याय शुल्क मो0 100=00 रूपया फ्रेकिंग मशीन सं0 3355 से दिनांक 05.06.2013 को जमाकर मुद्रांक के साथ दाखिल किया जिसके आलोक में विपक्षीयों को दिनांक 14.06.2013 को निबंधित सूचना निर्गत की गई, सूचना पाकर विपक्षीगण कार्रवाई में उपस्थित हुए तथा अपने दावे के समर्थन में उत्तर पत्र दाखिल किए, उभय पक्षों के दावे–प्रतिदावे पर विद्वान् अधिवक्ताओं को सुनते हुए इस वाद की विधिवत सुनवाई पूर्ण की गई है।

वादी द्वारा अपने वाद पत्र में उल्लेख किया है कि प्रश्नगत भूमि इनकी खतियानी भूमि है तथा पारिवारिक बँटवारा में यह भूमि वादी

10/12/13

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के वारे में टिप्पणी, तारीख–सहित
	सं0– 01 के हिस्से में आयी तथा उक्त जमीन को इनके पिता द्वारा वादी 02 के नाम हस्तानानतरण कर दिया जिस आधार पर इस का R.S. खतियान इनके नाम से खूला है, तथा इसकी जमाबन्दी नं0– 54 चल रही है तथा अद्यतन रसीद भी प्राप्त करते आ रहे हैं। इन्होने अपने वाद पत्र में यह उल्लेख किया है कि प्रश्नगत भूमि इनके आवासीय स्थल से 9–10 कि0 मी0 की दूरी पर रहने के कारण विपक्षीगण बाजबरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं तथा इस जमीन पर एक–केन–प्राकरेण बाधा उत्पन्न कर रहें हैं ताकि ये उक्त भूमि को कमोवेश किमत पर इनलोंगों के हाथों बेंच दें, ऐसा नहीं करने के कारण विपक्षीगण इनके फसल को बर्बाद करते हैं जिसको लेकर द0 प्र0 स0 की धारा 144 की कार्रवाई भी चली थी जिसका भू0 वाद सं0– 1574/2012 था। विपक्षी ने अपने लिखित कथन में उल्लेख किया है कि प्रश्नगत भूमि पर दायर वाद परिसीमा विधि और प्रतिकूल कब्जा से वर्जित है तथा प्रश्नगत भूमि न्यायालय के आदेश द्वारा बिक्री से प्रतिवादीगण के पूर्वज के पक्ष में प्राप्त है और उस समय से ही प्रतिवादीगण के पूर्वज इस भूमि को अपने कब्जा में लेकर खेतीबारी करते आ रहें हैं तथा इनका दखल कब्जा है। विपक्षी का यह भी कहना है कि वादी ने जो द0 प्र0 स0 की धारा– 144 की कार्रवाई हेतु आवेदन दिया उसमें इन्होंने लिखा है कि यह जमीन इनकी बहन को केवाला से प्राप्त है तथा देखरेख इनके द्वारा (ब्रज बिहारी प्रसाद) किया जाता है, जबकि इस दायर वाद में इनका कहना है कि यह भूमि खतियानी है जो कथन विरोधाभाषी है। इनका यह भी कहना है कि वादी का इसपर कोई अधिकार या दखल–कब्जा नहीं है और इस भूमि पर इनलोगों को विधिक एवं वैध हकियत प्राप्त है। वादी ने अपने कथन के आलोक में निम्नलिखित कागजात दाखिल किया है :– (1) हाल सर्वे खतियान की छायाप्रति बनाम निर्मला देवी पति रामाशंकर साह। (2) राजस्व रसीद वर्ष 2010–11 बनाम निर्मला देवी के नाम की छायाप्रति। विपक्षी द्वारा अपने लिखित कथन के अतिरिक्त कोई भी ठोस या अन्य कागजी प्रमाण प्रश्नगत भूमि से संबंधित दाखिल नहीं किया गया है। वादी द्वारा दायर वाद पत्र तथा विपक्षी द्वारा दाखिल लिखित कथन के अध्ययन तथा वादी द्वारा प्रस्तुत कागजातों के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि वादी सं0– 01 की प्रश्नगत भूमि खतियानी थी जिसे इनके पिता ने वादी सं0– 02 को बेचा। वादी सं0– 02 क्रय के	

10/2/12/13

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के वारे में टिप्पणी, तारीख–सहित
	पश्चात् उक्त भूमि का हाल सर्वे खतियान तैयार हुआ और वादी सं0–02 राजस्व रसीद भी प्राप्त कर रहें हैं। जबकि विपक्षी ने अपने कथन के संबंध में कोई कागजी साक्ष्य या कोई न्यायालीय आदेश की प्रति प्रस्तुत नहीं किया है। इनका मात्र कहना है कि यह भूमि वर्ष 1940 से हीं इनलोगों के दखल कब्जा में है तथा इनके पूर्वज को यह भूमि न्यायालीय आदेश से प्राप्त है। इनके द्वारा हाल सर्वे खतियान के इन्द्राज के विरूद्ध कोई वाद दायर नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में मात्र यह कहना की दखल–कब्जा एवं जोत आबाद में है विश्वसनीय प्रतित नहीं होता है। अतः उपरोक्त तथ्यों के विश्लेषणोंपरान्त वादी के आवेदन को स्वीकृत किया जाता है चुँकि प्रश्नगत भूमि पर वादी का अधिकार एवं दखल कब्जा जायज प्रतीत होता है। विपक्षी को आदेश दिया जाता है कि वे प्रश्नगत भूमि से अविलम्ब दखल–कब्जा हटा लें एवं वादी को प्रश्नगत भमि के उपयोग–उपभोग में व्यवधान उत्पन्न नहीं करें। इस आदेश की एक प्रति अंचल अधिकारी, सदर दरभंगा एवं थानाध्यक्ष सदर, दरभंगा को सूचनार्थ भेजें। **लेखापित एव शुद्धित** 6/12/13 **भू0 सु0 उप समाहर्त्ता** **सदर, दरभंगा।** 6/12/13 **भूमि सुधार उप समाहर्त्ता** **सदर, दरभंगा।**	